फर्द अहकाम

उमेश बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लसाडिया

नाम न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्याः– 14/2025 अपील

क्र. स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	6/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित। अतः रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि विक्रय पत्र का नामान्तकरन पंचायत ने विक्रय पत्र को बिना किसी सक्षम प्राधिकार खारिज कर दिया। जो अनुचित है। नामान्तकरण का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 2562 विक्रय पत्र के आधार पर इन्द्राज कर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया। जिसे बिना किसी कारण स्पष्ट किए पंचायत द्वारा खारिज किया गया है। जो प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नही है। अतः नामान्तकरण सं. 2562 पर किया गया निर्णय खारिज किया जाता है। एवम् नामान्तकरण तहसीलदार फागी को पुनः पक्षकारान को सुनकर नियमानुसार निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी	